(वाद संख्या–**5830/17**)

18.02.2020

परिवादी, अरविन्द साह, अपने ज्येष्ठ भ्राता, जयराम साह के साथ उपस्थित हैं।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के भतीजा, इनो साह, की पत्नी, सरिता देवी, के दहेज हत्या से संबंधित खगड़िया (चित्रगुप्त नगर) थाना कांड संख्या–492/17, दिनांक–20.07.2017 में परिवादी व उसके परिवार के लोगों के गलत अभियुक्तिकरण से संबंधित है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पुलिस ने अनुसंधानोपरान्त प्रसंगाधीन कांड में **''तथ्य की भूल''** बताकर अंतिम प्रतिवेदन संख्या–156/18, दिनांक–30.03.2018 समर्पित कर दिया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन कांड को पुलिस द्वारा तथ्य की भूल बताकर अनुसंधानोपरान्त अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई निर्देश/आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा।

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>